पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 06.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

थाना अजनर की पुलिस टीम ने गैर इरादतन हत्या के प्रकरण में वांछित 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे ईनामिया, पुरस्कार घोषित व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 06.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 दिनेश सिंह चन्देल व का0 उमेश कुमार द्वारा गश्त व क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 176/2025 धारा 110/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 से संबंधित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.मूलचन्द्र पुत्र लीलाधर उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम गंज थाना अजनर जनपद महोबा 2.लाखन पुत्र झुत्तू पाल उम्र 50 वर्ष नि0 गंज थाना अजनर जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के जगतपुर गडिया चौराहे वहद ग्राम गंज से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मूलचन्द्र पुत्र लीलाधर उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम गंज थाना अजनर जनपद महोबा
2. लाखन पुत्र झुत्तू पाल उम्र 50 वर्ष नि0 गंज थाना अजनर जनपद महोबा

अपराध विवरण- मु.अ.सं. 176/2025 धारा 110/115(2)/352/351(3) BNS थाना अजनर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 दिनेश सिंह चन्देल
2. का0 उमेश कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 06.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति फेज-5 अभियान के तहत महिला पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं एवं बालिकाओं को किया जागरूक-

आज दिनांक- 06.08.2025 को *मिशन शक्ति फेज-5* के अंतर्गत महिला रिपोर्टिंग चौकी चरखारी प्रभारी म0उ0नि0 नेहा विश्वकर्मा की *एंटी रोमियो टीम* द्वारा थाना चरखारी क्षेत्रअन्तर्गत जीजीआईसी स्कूल में जाकर स्कूली छात्राओं से परस्पर संवाद कर उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया एवं उनसे सम्बन्धित संभावित समस्याओं के सम्बन्ध में विस्तृत वार्ता की गयी। इसी क्रम में कस्बा चरखारी में महिलाओं एवं बालिकाओं को **नारी सुरक्षा** एवं **महिला सशक्तिकरण** के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया।

इस दौरान सभी को महिला रिपोर्टिंग चौकी चरखारी एवं थाना चरखारी में स्थापित **महिला हेल्प डेस्क** की भूमिका व कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया गया। स्कूली छात्राओं, महिलाओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में जानकारी ली गई, जिस पर किसी ने कोई समस्या नहीं बताई।

इस कार्यशाला के दौरान उत्तर प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं, जैसे *कन्या सुमंगला योजना*, के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

थाना प्रभारी चरखारी ने सभी से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा, उत्पीड़न या अपराध की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर या महिला हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं एवं महिलाओं को निम्न *हेल्पलाइन नंबरों* की जानकारी दी गई —

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
1076 – मा० मुख्यमंत्री हेल्प लाइन
1090 – विमेन पावर हेल्प लाइन
1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
102 – स्वास्थ्य सेवा
108 – एम्बुलेंस सेवा **1098** – चाइल्ड हेल्प लाइन **181** – महिला हेल्प लाइन

कजली मेला महोत्सव के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण

आज दिनांक 06 अगस्त 2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा जनपदीय पुलिस अधिकारियों के साथ ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान मेला परिसर की सुरक्षा व्यवस्थाओं, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था एवं आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि–

- मेले में आने वाले श्रद्धालुओं व नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो।
- भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए।
- ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु उचित बैरिकेडिंग व रूट डायवर्जन लागू किया जाए।
- सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम के माध्यम से सतत निगरानी रखी जाए।

अपर पुलिस अधीक्षक ने मेले में आने वाले नागरिकों से अपील की कि वे सहयोग बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

थाना अजनर व आबकारी पुलिस की टीम द्वारा संयुक्त रुप से अवैध शराब का निर्माण करने वालों के विरुद्ध की गयी बड़ी कार्यवाही।

अवैध शराब बरामदगी, लहन नष्ट एवं शराब निर्माण उपकरण जब्त

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के मार्गदर्शन में, आबकारी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, दिनांक 06.08.2025 को थाना अजनर पुलिस द्वारा कबूतरा डेरा, ग्राम खोई में दबिश देकर अवैध शराब निर्माण, भंडारण एवं परिवहन में लिप्त दो महिलाओं को पकड़ा गया।

कार्यवाही का विवरण:

बरामदगी:
15-15 लीटर अवैध कच्ची शराब (कुल 30 लीटर)
शराब बनाने एवं निष्कर्षण में प्रयुक्त उपकरण
नष्ट किया गया:
लगभग 400 लीटर किण्वित लहन, जिससे अवैध शराब का निर्माण किया जाना था
गिरफ्तार अभियुक्त:
1.रवीना पत्नी संजीव कबूतरा, उम्र 27 वर्ष
2. माया पत्नी रोहित कबूतरा, उम्र 35 वर्ष निवासीगण ग्राम खोई डेरा, थाना अजनर, जनपद महोबा

कानूनी कार्यवाही:

अभियुक्ताओं के विरुद्ध धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मु0अ0सं0 177/2025 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्ताओं को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।

अवैध शराब के निर्माण, परिवहन व बिक्री में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध पुलिस की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की कि वे इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या संबंधित अधिकारियों को सूचना दें, जिससे जनस्वास्थ्य व कानून-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को समाप्त किया जा सके।

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम-

उ0नि0 आकाश मौर्य
का0 नरेन्द्र बाबू
म0का0 ममता

आबकारी पुलिस टीम-

निरीक्षक बृजेश कुमार सिंह
का0 विक्रम सिंह
का0 प्रताप सिंह
का0 रामशंकर
म0का0 नेहा